न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

बईजलास – श्री सुरेन्द्र बी. पाटीदार, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 277/2024
दायर दिनांक :– 17.05.2024

अनवान

1- अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका जहाजपुर तहसील जहाजपुर

प्रार्थी.........

बनाम

1. तहसीलदार जहाजपुर जिला शाहपुरा

अप्रार्थी..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट ::

:: आदेश :: दिनांक 24.06.2024

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की नगर पालिका जहाजपुर के पेराफेरी क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम पाचा का बाड़ा में आराजी नम्बर 2443 रकबा 9.4534 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2599 रकबा 8.4660 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 3429/2263 रकबा 18.7531 हैक्टयर भूमि को श्रीमान शासन उप सचिव महोदय, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प06 (315) राजस्व ग्रुप–3/95 दिनांक–12.03.97 व श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक प–12–6(4) आरए/92 दिनांक–02.04.97 से चारागाह भूमि से खारिज कर बीसलपुर परियोजना के विस्थापितो के लिए कृषि एवं पुर्नवास कॉलोनी के प्रयोजनार्थ आरक्षित की गयी थी। जिसकी अनुपालना में श्रीमान तहसीलदार महोदय, जहाजपुर के आदेश क्रमांक/भू0अ0/97/6036 दिनांक–04.07.1997 से राजस्व ग्राम पांचा का बाड़ा पटवार हल्का बिन्ध्याभाटा में जरिये नामान्तकरण संख्या–09 निर्णय दिनांक–10.04.1997 से आराजी नम्बर 2443 रकबा 9.4534 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2599 रकबा 8.4660 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर–3429/2263 रकबा 18.7531 हैक्टयर सुरक्षित चारागाह से बिसलपुर परियोजना के विस्थापितो के लिए कृषि एवं पुनर्वास कालॉनी के प्रयोजनार्थ आरक्षित दर्ज रिकार्ड की गयी। श्रीमान शासन उप सचिव महोदय, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प06 (315) राजस्व ग्रुप–3/95 दिनांक 12.03.97 व श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भीलवांड़ा के पत्र क्रमांक प–12–6(4) आरए/92 दिनांक 02.04.97 से चारागाह भूमि से खारिज कर बीसलपुर परियोजना के विस्थापितो के लिए कृषि एवं पुर्नवास कॉलोनी के प्रयोजनार्थ आरक्षित करने के आदेश दिये गये थे। परन्तु वक्त नामान्तकरण उक्त वर्णित भूमि की किस्म चारागाह से परिवर्तन कर गे0मु0 आबादी दर्ज नही जाकर यथावत किस्म चारागाह ही सहवहन से दर्ज हो गयी है। उक्त भूमि का वर्तमान में बिसलपुर के परियोजना के किसी भी विस्थापित द्वारा भूमि आवंटन के लिए कोई आवेदन नही किये जाने एवं आवंटन से कोई प्रकरण भी शेष नही है। उक्त भूमि पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पांचा का बाड़ा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय लाला का बाड़ा, राजकीय आंगनबाड़ी भवन पांचा का बाड़ा, पेयजल परियोजना हेतु निर्मित पानी की टंकी, नगर पालिका जहाजपुर द्वारा निर्मित 02 सामुदायिक भवन बने हुए है एवं उक्त भूमि पर वर्तमान में राजस्व ग्राम पांचा का बाड़ा व मजरा लाला का बाड़ा के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

Scanned with CamScanner

लगभग 40–50 वर्षों से आवासीय मकान बनाकर निवासरत है अतः श्रीमान शासन उप सचिव महोदय, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प06 (315) राज/ग्रुप–3/95 दिनांक 12.03.97 व श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक प–12–6 (4) आरए/92 दिनांक 02.04.97 एवं श्रीमान तहसीलदार महोदय, जहाजपुर के आदेश क्रमांक/भू0अ0/97/6036 दिनांक 04.07.1997 की अनुपालना में राजस्व ग्राम पाचा का बाड़ा पटवार हल्का बिन्ध्याभाटा की आराजी नम्बर–2443 रकबा 9.4534 हैक्टयर, आराजी नम्बर–2599 रकबा 8.4660 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 3429/2263 रकबा 18.7531 हैक्टयर भूमि की किस्म को चारागाह के बजाय गै०मु० आबादी में दर्ज करने का आदेश करना फरमावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर कि तरफ से पत्र कमांक 771 दिनांक 29.05.2024 से मौके एव रेकार्ड की स्थिति की रिपोर्ट भिजवाई गई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उक्त रिपोर्ट में बताया की राजस्व ग्राम पांचा का बाड़ा के आराजी नम्बर 2443 रकबा 9.4534 है0 (58.08 बीघा) किस्म चारागाह, आराजी नम्बर 2599 रकबा 8.4660 है0 (52.06 बीघा) किस्म चारागाह, व आराजी नम्बर 3429/2263 रकबा 18.7531 है0 (115.17 बीघा) किस्म चारागाह कुल किता 3 रकबा 36.6725 है0 (226.11 बीघा) भूमि बिसलपुर परियोजना के विस्थापितो के लिए कृषि एवं पुनर्वास कॉलानी के प्रयोजनार्थ आरक्षित दर्ज रिकार्ड है। जिसकी जमाबन्दी नकल संलग्न है। श्रीमान शासन उप सचिव, राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–3 के आदेश क्रमांक/प06/315/राज./ग्रुप–3/95 दिनांक 12.03.1997 से श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा को अंकित आदेश में उक्त वर्णित भूमि को चारागाह से खारिज कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत बिसलपुर प्रयोजनार्थ के विस्थापितो के लिए कृषि एवं पुनर्वास कॉलानी के प्रयोजनार्थ आरक्षित करने की स्वीकृति दी गई थी, जिसकी प्रति संलग्न है। श्रीमान शासन उप सचिव, राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–3 के आदेश क्रमांक/प06/315/राज./ग्रुप–3/95 दिनांक 12.03.1997 की पालना में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक/प–12–6 (4) आरए/92 दिनांक 02.04.1997 व तहसील के आदेश कमांक/भू.अ./97/1036 दिनांक 07.04.1997 की पालना में राजस्व ग्राम पांचा का बाडा की तत्समय कुल चारागाह भूमि 632.15 बीघा में से रकबा 226.11 बीघा भूमि बिसलपुर परियोजना के विस्थापितो के लिए कृषि एवं पुनर्वास कॉलानी के प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई है, जो कि कुल चारागाह 36 प्रतिशत है। इस प्रकार श्रीमान उप सचिव, राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–3 के आदेश क्रमांक/प06/315/राज./ग्रुप–3/95 दिनांक 12.03.1997 एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक/प–12–6 (4) आरए/92 दिनांक 02.04.1997 की पालना की गई है। श्रीमान शासन उप सचिव, राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप – 3 के आदेश कमांक/ प06/315/राज./ग्रुप–3/95 दिनांक 12.03.1997 एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक /प–12–6(4) आरए/92 दिनांक 02.04.1997 व इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/ भू0अ0/97/1036 दिनांक 07.04.1997 की पालना में राजस्व ग्राम पांचा का बाड़ा की आराजी नम्बर 2263 रकबा 115 बीघा 17 बिस्वा किस्म चारागाह, आ0नं0–2443 रकबा 58 बीघा 08 बिस्वा किस्म चारागाह, आ0 नं0 2599 रकबा 52 बीघा 06 बिस्वा किस्म चारागाह कुल किता 3 रकबा 226.11 बीघा भूमि को जरिये नामान्तकरण संख्या 9 निर्णय दिनांक 11.04.1997 से बिसलपुर प्रयोजनार्थ के विस्थापितो के लिए कृषि एवं पुनर्वास कॉलानी के प्रयोजनार्थ आरक्षित दर्ज किया गया है। परन्तु उक्त वर्णित भूमि की किस्म चारागाह से खारिज नही की जाकर सहवन से यथावत चारागाह ही दर्ज कर दी थी। श्रीमान अतिरिक्त कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

Scanned with CamScanner

(पुनर्वास) एंव भूमि अवाप्ति अधिकारी महोदय,, बीसलपुर, परियोजना, देवली जिला टोंक के पत्र क्रमांक/स्था० शाखा/2020/1723 दिनांक 13.03.2020 से श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा को प्रेषित पत्र द्वारा नगर पालिका जहाजपुर के राजस्व ग्राम पांचा का बाड़ा की आरांजी नम्बर 2263 रकबा 115 बीघा 17 बिस्वा किस्म चारागाह, आ0नं0 2443 रकबा 58 बीघा 08 बिस्वा किस्म चारागाह, आ0नं0 2599 रकबा 52 बीघा 06 बिस्वा किस्म चारागाह कुल किता 3 रकबा 226.11 बीघा भूमि पर उक्त आराजी पर मजरा लाला का बाड़ा का विद्यालय भवन एवं सामुदायिक भवन बने हुए है तथा ग्राम पांचा का बाड़ा व मजरा लाला का बाड़ा के अनुसूचित जाति–अनूसूचित जनजाति के 60 परिवार 40–50 वर्षो से मकान बनाकर निवास कर रहे होने से श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा को उक्त आराजीयात को पुनः अनारक्षित कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 7 के विधित प्रावधानो के तहत एवं राज्य सरकार के राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के पत्र क्रमांक/प.10 (3) राज–6/2001/5 जयपुर दिनांक 26.06.2013 व राजस्व (6) के विभाग के पत्र क्रमांक/प–9 (20) राज–6/2017/138 जयपुर दिनांक 25.11.2019 के परिपत्र के अनुसरण में नगर पालिका जहाजपुर को आबादी हेतु आवंटन करने में विभाग व कार्यालय को कोई आपत्ति नही होने सम्बन्धित स्पष्ट अकन किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है। श्रीमान शासन उप सचिव, राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–3 के आदेश क्रमांक/प06/315/राज./ग्रुप–3/95 दिनांक 12.03.1997 एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक/प–12–6 (4) आरए/92 दिनांक 02.04.1997 की अनुपालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/भू0अ0/97/1036 दिनांक–07.04.1997 से राजस्व ग्राम पांचा का बाड़ा की आराजी नम्बर–2263 रकबा 115 बीघा 17 बिस्वा किस्म चारागाह, आ0नं0 2443 रकबा 58 बीघा 08 बिस्वा किस्म चारागाह, आ०नं० 2599 रकबा 52 बीघा 06 बिस्वा किस्म चारागाह कुल किता–3 रकबा 226.11 बीघा भूमि को बिसलपुर प्रयोजनार्थ के विस्थापितो के लिए कृषि एवं पुनर्वास कॉलानी के प्रयोजनार्थ आरक्षित करते समय सहवन से भूमि की किस्म चारागाह से खारिज नही की जाने से अधीशाषी अधिकारी नगर पालिका जहाजपुर द्वारा उक्त वर्णित खसरा नम्बर 2443, 2599, 3429/2263 की भूमि की किस्म गे०गु०आबादी भूमि राजस्व संशोधित दर्ज करवाना चाहा गया है। राजस्व ग्राम पांचा का बाड़ा की आ0न0 2590 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय लाला का बाड़ा सामुदायिक भवन लाला का बाड़ा बने हुए है 3429/2263, आ०नं0 2443 आ.नं० 2599 कुल किता 3 रकबा 226.11 बीघा भूमि पर मौके पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पांचा का बाड़ा, आगनबाड़ी भवन पांचा का बाड़ा, पेयजल टंकी, सामुदायिक भवन पांचा का बाड़ा, व कई आँशिक भू–भाग पर कई वर्षों से अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के परिवार मकान बनाकर निवासरत है। श्रीमान शासन उप सचिव, राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–3 के आदेश क्रमांक/प06/315/राज./ग्रुप–3/95 दिनांक 12.03.1997 एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक/प–12–6(4) आरए/92 दिनांक 02.04.1997 व इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/भू0अ0/97/1036 दिनांक 07.04. 1997 की पालना में राजस्व ग्राम पांचा का बाड़ा की आराजी नम्बर 2263 रकबा 115 बीघा 17 बिस्वा किस्म चारागाह आ0नं0 2443 रकबा 58 बीघा 08 बिस्वा किस्म चारागाह, आ०नं0 2599 रकबा 52 बीघा 06 बिस्वा किस्म चारागाह कुल किता 3 रकबा 226.11 बीघा भूमि को जरिये नामान्तकरण संख्या–9 निर्णय दिनांक–11.04.1997 से बिसलपुर प्रयोजनार्थ के विस्थापितो के लिए कृषि एवं पुनर्वास कॉलानी के प्रयोजनार्थ आरक्षित दर्ज करने सम्बन्धित नामान्तकरण पत्र में सहवन से किस्म चारागाह ही दर्ज कर दी गई जबकि उपरोक्त आदेशानुसार उक्त भूमि को चारागाह से खारिज कर दिया गया था। राजस्व ग्राम–पांचा का बाड़ा की आ0न0 2599 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय लाला का बाड़ा,

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (...ारा)

Scanned with CamScanner

सामुदायिक भवन लाला का बाड़ा बने हुए है। अतः आराजी नम्बर 2599 रकबा 8.4660 हैक्टेयर, आ.न. 2443 रकबा 9.4534 हैक्टेयर, आ0न0 3429/2263 रकबा 18.7531 हैक्टेयर की किस्म को चरागाह के बजाय किस्म बारानी II किया जाना उचित बताया गया है।

प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र की ताईद में श्रीमान शासन उप सचिव, राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–3 के आदेश क्रमांक/प06/315/राज./ग्रुप–3/95 दिनांक 12.03.1997 की प्रति एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक/प–12–6(4) आरए/92 दिनांक 02.04.1997 की प्रति तथा तहसीलदार जहाजपुर के आदेश क्रमांक/भू0अ0/97/1036 दिनांक 07.04.1997 की प्रति, नामान्तरकरण सं. 09 निर्णय दिनांक 10.04.1997 ग्राम पांचा का बाडा की प्रति, ऑनलाईन जमाबन्दी की नकल पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की राजस्व ग्राम पांचा का बाड़ा प. ह. बिन्ध्याभाटा तहसील जहाजपुर की आराजी नम्बर 2263 रकबा 115 बीघा 17 बिस्वा किस्म चारागाह आ0नं0 2443 रकबा 58 बीघा 08 बिस्वा किस्म चारागाह, आ0नं0 2599 रकबा 52 बीघा 06 बिस्वा किस्म चारागाह कुल किता 3 रकबा 226.11 बीघा को श्रीमान शासन उप सचिव, राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–3 के आदेश क्रमांक/प06/315/राज./ग्रुप–3/95 दिनांक 12.03.1997 की प्रति एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक/प–12–6(4) आरए/92 दिनांक 02.04.1997 के द्वारा उक्त भूमि चारागाह से खारिज़ क़र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत बिसलपुर परियोजना के विस्थापितों के कृषि एवं पुनर्वास कॉलोनी के प्रयोजनार्थ परिवर्तित भूमि प्रत्येक ग्राम की कुल चारागाह भूमि के 60 प्रतिशत के अधिक नही होने की शर्त पर आरक्षित की गई थी। उक्त आदेशानुसार तहसीलदार जहाजपुर द्वारा भूमि को जरिये नामान्तकरण संख्या 9 निर्णय दिनांक–11.04.1997 से बिसलपुर परियोजनार्थ के विस्थापितो के लिए कृषि एवं पुनर्वास कॉलानी के प्रयोजनार्थ आरक्षित दर्ज करने सम्बन्धित नामान्तकरण पत्र में सहवन से चारागाह ही दर्ज कर दी गई **जबकि उपरोक्त आदेशानुसार उक्त भूमि को चारागाह से खारिज कर दिया गया था।** जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट से होती है। जिससे राजस्व ग्राम पांचा का बाड़ा प. ह. बिन्ध्याभाटा तहसील जहाजपुर आराजी नम्बर 2599 रकबा 8.4660 हैक्टेयर, आ. न. 2443 रकबा 9.4534 हैक्टेयर, आ0न0 3429/2263 रकबा 18.7531 हैक्टेयर की किस्म को चरागाह के बजाय किस्म बारानी II किस्म संशोधन किया जाना उचित है। जिससें न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पांचा का बाड़ा प. ह. बिन्ध्याभाटा तहसील जहाजपुर की आराजी नम्बर 2599 रकबा 8.4660 हैक्टेयर, आ. न. 2443 रकबा 9.4534 हैक्टेयर, आ0न0 3429/2263 रकबा 18.7531 हैक्टेयर की किस्म को चारागाह के बजाय किस्म बारानी II किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र बी.पाटीदार)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (शाहपुरा)

Scanned with CamScanner